सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 240/21 **दिनांक- 25 मई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

ग्राम इसहाकपुर में हुई हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.05.2021 को वादी रामसलट पुत्र जगवीर राजभर ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी की दिनांक 04.05.2021 को समय लगभग 05.40 बजे को प्रधानी को लेकर मेरे गांव के ही अद्या प्रसाद पुत्र सतिराम, विक्रान्त पुत्र सतिराम, रत्तीलाल पुत्र सतिराम, अशोक राजभर पुत्र राजकुमार , पवन पुत्र भान सिंह, फैज अहमद पुत्र आलमगीर आदि कुछ लोग जो अपने अपने हाथों में असलहा व धारदार हथियार लेकर एकराय होकर हमारे दरवाजे पर गाली गलौज करते हुए चढ़ आए। जब मैने गाली गलौच करने से मना किया तो फैज के ललकारने पर कि इन सालों को छोड़ों मत गोली मार दो इस पर विक्रान्त ने अपने हाथ में लिए असलहे से जान से मारने की नियत से गोली चलाई जो मेरी बहू पूनम के सिर में लगी और उसकी मौके ही पर मौत हो गई एवं अद्या प्रसाद ने अपने हाथ में लिए असलहे से गोली मारी जो मेरी पोती प्रीती को लगी और घायल हो गई और अशोक राजभर ने अपने हाथ में लिए असलहे से मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया जो मेरे पास से निकल गई तो उसने असलहे की बट से वार किया जिसकी चोट मेरे चेहरे पर आ गई। रत्तीलाल एवं पवन अपने हाथ में लिए तलवार से रंजीत को जान से मारने की नियत से वार किया जो रंजीत के हाथ में लगी जिससे वह बुरी तरह घायल होकर भागा। उपरोक्त बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए व असलहे लहराते हुए गाली गलौच करते हुए मौके से चले गये। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/21 धारा 147/148/149/ 323/504 /506/427/452/307/302/34 भादवि व 7 सी.एल.ए. एक्ट व 3/25 व 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.5.2021 को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराहियान के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र कार्य सरकार एवं मु0अ0सं0 92/21 धारा 147/148/149/ 323/504 /506/ 427/ 452/ 307/ 302/34 भादवि व 7 सी.एल.ए. एक्ट व 3/25 व 4/25 शस्त्र अधि0 की विवेचना एवं इससे सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिर फ्तारी में मामूर होकर कार्य सरकार करते हु ए मुक्तीपुर, बक्शपुर होते हुए ग्राम इसहाकपुर जा रहा थे कि ग्राम बक्शपुर में द्वारा मुखबिर सूचना मिली कि इसहाकपुर में हुई हत्या में वांछित अभियुक्त पवन राजभर पुत्र मानसिह राजभर निवासी ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह आजमगढ़ इस समय कही जाने की फिराक में हैं और महुजानेवादा मोड पर खडा है और कही जाने के लिए वाहन का इन्तजार कर रहा हैं सूचना पर विश्वाश करके प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के तुरंत मुखविर के द्वारा बताए गये स्थान की तरफ रवाना हु ए महुजानेवादा मोड से पहले ही मुखविर खास इशारा किया कि साहब सामने जो व्यक्ति खडा है यह वही व्यक्ति है और मुखविर वहां से चला गया मुखविर के बताये जाने के मुताबिक उस व्यक्ति के पास पहुचे तो वह व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया कि एक बारगी हमराही कर्म0गण की मदद से घेर कर समय करीब 05.20 बजे सुबह पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम पवन राजभर पुत्र मानसिह राजभर निवासी ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह आजमगढ़ बताया। चूकि पकडा गया व्यक्ति थाना हाजा के मु0अ0सं0 92/21 धारा 147/148/149/ 323/504 /506/427/452/307/302/34 भादवि व 7 सी.एल.ए. एक्ट व 3/25 व 4/25 शस्त्र अधि0 में वाछित अभियुक्त हैं जि से कारण बताकर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिये गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0आ0सं0 92/2021 धारा 147,148,149,323,504,506,427,452, 307,302,34 भा0द0वि0 व धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट 3/25 व 4/25 शस्त्र अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

पवन राजभर पुत्र मानसिह राजभर निवासी ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह का0 एनुद्दीन फारुकी, का0 रवि यादव व म0का0 पूनम पाल

थाना निजामाबाद

अवैध असलहा (एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर) के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आमजगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चेकिंग संदिग्ध/वांछित व्यक्तियों/अपराधियो के रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराहीयान के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति,देखभालक्षेत्र में मामूर थे कि दौराने चेकिंग ग्राम सीहीपुर, सीही पुलिया के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिया व पुलिस टीम को देखकर घबराकर भागने का प्रयास किया जिसके फलस्वरुप पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुए तरीके से घेर कर पकड़ लिया गया तथा नाम पता पूछा गया को अपना नाम **निलेश यादव पुत्र रामसूरत यादव साकिन लाहीडीह थाना फूलपुर आजमगढ़** बताया तथा उपरोक्त व्यक्ति की जामा तलाशी ली गय़ी तो एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अवैध असलहा की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0- - 112/21धारा 3/25 आर्म्सएक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तारअभियुक्त-

निलेश यादव पुत्र रामसूरत यादव साकिन लाहीडीह थाना फूलपुर आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 112/21धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. हे0का0 अवधनाथ यादव थाना निजामाबाद, आजमगढ़
4. हे0का0 रामकृष्ण यादव थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना दीदारगंज

सर्वोदय महाविद्यालय से चोरी के कम्प्यूटर मय सीपीयू व बैटरी के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज व चौकी प्रभारी मार्टीनगंज उ0नि0 बांक बहादुर सिंह मय फोर्स के साथ दिनांक 25.5.2021 को साथ कस्बा मार्टिनगंज मे मामूर होकर आपस मे अपराध व अपराधियो के बारे मे बातचीत कर रहे थे कि उसी समय मुखबीर खास आकर बताया कि साहब जो सर्वोदय महाविद्यालय मार्टिनगज मे चोरी हुई है वह तीनो चोर चोरी का सामान लेकर सिसवारा रोड सुरहन तिराहे पर खडे है जो कही चोरी के माल को बेचने के लिये लेकर जाने के फिराक मे है पुलिस टीम मुखबीर की बात पर विश्वास कर मुखबीर को साथ लेकर कस्बा मार्टिनगज से प्रस्थान कर सिसवारा रोड पर सुरहन तिराहे के करीब जैसे ही पहुचे गाडी रोककर देखा तो सुरहन तिराहे पर तीन व्यक्ति खडे थे मुखबीर ने इशारे से बताया कि साहब वही तीनो व्यक्ति है जो चोरी का सामान लेकर खडे है मुखबीर इशारा करके पीछे मुडकर चला गया पुलिस टीम जैसे ही हिकमत अमली से उन खडे तीनो व्यक्तियो के करीब पहुची तो पुलिस को उक्त तीनो व्यक्ति अपने तरफ आते देख भागने लगे पुलिस टीम ने घेरकर मौके पर 2 व्यक्तिय़ो को पक़ड लिया गया तथा एक व्यक्ति मौके से भागने मे सफल रहा । पकडे गये पहले व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम पता अमन गौतम पुत्र मखन्चू ग्राम बैरी थाना बरदह आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष बताया तथा दूसरे

व्यक्ति मे अपना नामपता अजीत गौतम पुत्र लालजीत ग्राम सुरहन थाना दीदारगंज आजमगढ उम्र-19 वर्ष बताया भागने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछने पर बताये कि भागने वाला व्यक्ति हमारा साथी गुलशन गौतम पुत्र संजय ग्राम सुरहन थाना दीदारगंज आजमगढ था भागने का कारण पूछने पर बताया कि साहब हम तीनो लोग सर्वोदय महाविद्यालय मार्टिनगंज मे ताला काटकर चोरी किये थे साहब आज हम लोग उसी चोरी के सामान को बेचने के लिये जा रहे थे कि आप लोग हम लोगो को पकड लिये पकडे गये व्यक्तिय़ो की जामा तलाशी ली गई तो सिवाय पहने हुये कपडो के कोई शय बरामद नही हुआ मौके पर बोरी मे भरे सामान के बारे मे पूछने पर बताया कि साहब इसमे चोरी का कम्प्यूटर व बैट्री है बोरी को खोलकर देखने पर एक अदद बैट्री 12 बोल्ट जिसपर अग्रेजी मे AMARON जिसपर न0 AAH9038R1.00276 लिखा है तथा सीपीयू बरंग काला जिसपर अग्रेजी मे EMPORIS लिखा है जिसमे पीछे कवर नही है तथा एक अदद एलसीडी बरंगकाली बरामद हुआ जिसपर अग्रेजी मे AOC लिखा है जिसपर सीरियल न0 AOCMRV2F4152858 अंकित है कडाई से पूछने पर बताया कि साहब चोरी वाला टुल्लू मशीन हमारे दोस्त गुलशन गौतम के पास है बरामदशुदा माल को पहचान हेतु वादी श्री भानूप्रताप सिह पुत्र वेंद पाल सिह ग्राम अमनांवे थाना दीदारगंज आजमगढ को जरिये मोबाइल फोन से सूचना देकर मौके पर बुलवाकर बरामदशुदा माल की पहचान करायी गई तो वादी द्वारा अपने विद्यालय से चोरी गये माल को बताते हुये पहचान की गयी । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी करते हुये पकडे गये व्यक्तियो को अपराध का बोध कराते हुये समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 76/2021 धारा 457/380 भादवि व बढोत्ररी धारा 411 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अमन गौतम पुत्र मखन्चू ग्राम बैरी थाना बरदह आजमगढ
2. अजीत गौतम पुत्र लालजीत ग्राम सुरहन थाना दीदारगंज आजमगढ

बरामदगी-

चोरी के एक अदद कम्प्यूटर व एक अदद बैट्री

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1- (थानाध्यक्ष) संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

2- उ0नि0 बांक बहादुर सिंह चौकी (प्रभारी मार्टीनगंज) थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

3- का0 अनुप यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

4- का0 नागेन्द्र कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

5- का0 सोनू कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

6- का0सदानन्द थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज

दहेज हत्या के तीन नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.05.2021 को चन्दन पाण्डेय पुत्र स्व 0 अखिलेश पाण्डेय ग्राम पाण्डेयपुर थाना गढवार जनपद बलिया उपस्थित थाना कार्यालय आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती खुद का बताते हुए बावत खुद की बहन रिचा पाण्डेय को अभि0गण द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करना व न देने

पर फा ँसी लगाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु 0अ0स0 117/21 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी **एक्ट बनाम 1.** शशिकान्त पाण्डेयपुत्र दीनदयाल पाण्डेय **(पति) 2.** सविता पाण्डेय पत्नी दीनदयाल पाण्डेय **(सास) 3.** नितेश पाण्डेय पुत्र दीनदयाल पाण्डेय **(देवर) 4.** तन्नु पाण्डेय पुत्री दीनदयाल पाण्डेय **(ननद) 5.** दीनदयाल पाण्डेय पुत्र सुदर्शन पाण्डेय **(ससुर) निवासीगण धरमपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़** के पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 25.05.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ **सुधीर कुमार सिंह** के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मु0अ0स0 117/21 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित वाछित अभियुक्तग **ण 1.** शशिकान्त पाण्डेयपुत्र दीनदयाल पाण्डेय **2.** दीनदयाल पाण्डेय पुत्र सुदर्शन पाण्डेय **3.** सविता पाण्डेय पत्नी दीनदयाल पाण्डेय निवासीगण धरमपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को भुजही तिराहा से समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोगः-</u>

मु0अ0सं0-117/21 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. शशिकान्त पाण्डेयपुत्र दीनदयाल पाण्डेय

2. दीनदयाल पाण्डेय पुत्र सुदर्शन पाण्डेय

3. सविता पाण्डेय पत्नी दीनदयाल पाण्डेय निवासीगण धरमपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-</u>

1- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार पाल

2- हे0का0 सियाकान्त यादव

3. का0 महेश कुमार

3. म0का0 साधना सिंह

<u>थाना- महराजगंज</u>

<u>पाक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

अभियुक्त द्वारा प्रार्थी के लड़की उ म्र 12 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाकर छेड़खानी करना व जान मारने की धमकी देना

महिला सम्बन्धित संगीन अपराधो पर रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** व **प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे** के नेतृत्व में आज दिनांक 25.05.2021 को उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित/वारंटी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व कोरोना महामारी के दृष्टिगत क्षेत्र में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 156/21 धारा 363, 354, 506 IPC 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अपने घर पर ग्राम उसुरकुढ़वा में मौजूद है इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण के साथ अभियुक्त के घर पहुँचे तो घर के बाहर दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। दरवाजे के पास खड़े व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रितिक यादव S/O लालजी निवासी ग्राम उसुरकुढ़वा थाना महराजगंज आजमगढ़ बताया , अभियुक्त उपरोक्त मु0अ0सं0 156/21 धारा 363 , 354, 506 IPC 7/8 पाक्सो एक्ट का नामित अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 09.55 बजे सुबह में हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

मु0अ0सं0 156/21 धारा 363, 354, 506 IPC 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महराजगंज आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

रितिक यादव S/O लालजी निवासी ग्राम उसुरकुढ़वा थाना महराजगंज आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व मेंSI राजेश प्रसाद मय हमराह का0 विनय प्रसाद, का0 कलामुद्दीन अंसारी

थाना दीदारगंज

26 अदद देशी शराब शीशी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणव क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के चौकी प्रभारी मार्टीनगंज उ0नि0 बांक बहादुर सिंह मय हमराह हे0का0 प्रभुनाथ यादव का0 सदानन्द के साथ कस्बा मार्टीनगज में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चेकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखबीर खास आकर सूचना दिया कि साहब एक व्यक्ति प्लास्टिक के झोले में देशी शराब की शीशी लेकर बेचने के लिए मकदूमपुर से जैगहा तिराहा कस्बा मार्टिनगंज की और आ रहा है मुखबिर की बात पर विश्वास कर मय हमराही कर्मचारीगण व मुखविर को साथ लेकर कस्बा मार्टिनगंज से प्रस्थान कर जैगहा तिराहा मार्टिनगंज आकर मकदूमपुर की और से आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे कुछ ही देर में एक व्यक्ति पैर से भचकते हुए हाथ में झोला लिए दिखाई दिया तो मुखबिर द्वारा इ शारे से बताया गया कि साहब जो नीले रंग का शर्ट पहने हाथ में झोला लिए भचकते हुए आ रहा है वही व्यक्ति है उसके पास झोले में देशी शराब की शिशिया है मुखबिर इशारे से बताते हुए पीछे मुड़ कर हट बढ गया कि पुलिस टीम एक बारगी जैगरा तिराहे पर उक्त व्यक्ति को घेर कर पकड लिए पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पुछने पर अपना नाम ठाकूर प्रसाद सिंह पुत्र मंगला सिंह उम्र 48 वर्ष ग्राम मकदूमपुर थाना दीदारगंज जिला आजमगढ बताया पकडे गये व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर हाथ में लिए झोले के बारे में पुछने पर बताया कि साहब इस झोले में ठेके की देशी शराब की शीशिया है साहब मै पैर से विकलागं हु इस शराब को बेच कर अपना घर चलाता हुए झोले को खोल कर देखने पर झोले में 26 अदद देशी शराब की शीशीया शराब से भरी हुए सील बन्द बरामद हुई। पकड़े गये व्यक्ति से उक्त शराब का रखने का अधिकार पत्र माँगा गया तो नही दिखा सका उक्त व्यक्ति का यह कृत धारा 60 आबकारी अधिनियम

का दण्डनीय अपराध है पकडे गये व्यक्ति का अपराध बोध कराते हुए समय करीब 15.30 बजे हिरासत पुलिस में लिए गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 77/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

ठाकूर प्रसाद सिंह पुत्र मंगला सिंह उम्र 48 वर्ष ग्राम मकदूमपुर थाना दीदारगंज जिला आजमगढ

बरामदगी-

26 अदद देशी शराब शीशी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1- थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2- उ0नि0 बांक बहादुर सिंह चौकी (प्रभारी मार्टीनगंज) थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

3- हे0का0 प्रभुनाथथाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

4- का0सदानन्द थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना तहबरपुर

वांछित बाल अपचारी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक शत्रुध्न कुमार व व0उ0नि0 बसन्त लाल मय हमराह के क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई की मु0अ0सं0-19/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बाल अपचारी लालू यादव पुत्र शिवप्रकाश यादव निवासी सुरिस समधीपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर कही जाने के फिराक में मदुरी तिहारे के पास किसी साधन का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल समय करीब 10.30 बजे बाल अपचारी उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार बाल अपचारी

लालू यादव पुत्र शिवप्रकाश यादव निवासी सुरिस समधीपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर (उम्र 16 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-19/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0-84/2020 धारा 392,411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक शत्रुध्न कुमार व व0उ0नि0 बसन्त लाल मय हमराह